

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख) के अन्तर्गत
आबकारी विभाग से सम्बन्धित 16 बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारियों से अपेक्षित
सूचनाओं का विवरण**

(4) कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान :-

समीक्षा अधिकारी / नोटर	– 7.5 रसीद प्रतिदिन
संदर्भदाता	– 25–30 रसीद प्रतिदिन
रजिस्टर कीपर	– 35–40 रसीद प्रतिदिन
टंकक	– 4400 शब्द प्रतिदिन

विभागीय कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त रखने, क्रियाशील बनाने एवं समयबद्ध तरीके से तथ्यपरक एवं पारिणामपरक उपलब्धियों को सुनिश्चित करने के लिए विभाग के अधिकारियों के लिये निरीक्षण, दौरे आदि के सम्बन्ध में मानक / मापमान निम्नवत् हैं :-

(1) संयुक्त आबकारी आयुक्त

1	दौरे का दिन	160 दिन प्रति वर्ष
2	रात्रि प्रवास	10 रात्रि प्रति माह
3	अपराध निरोधक क्षेत्र (क) जोन के मुख्यालय का जनपद	4 माह में एक बार
	(ख) जोन के अन्य प्रभागों के जनपद	6 माह में एक बार
4	आसवनी	4 माह में एक बार
5	बंधित गोदाम (क) वे बंधित गोदाम जो जोन के जनपद मुख्यालय पर स्थित हैं।	4 माह में एक बार
	(ख) जोन के शेष बंधित गोदाम	6 माह में एक बार
6	जोन में स्थित बंधित निर्माणशालाएं	6 माह में एक बार
7	अबंधित निर्माण शालाएं	वर्ष में एक बार
8	शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाइयां (केटिल फीड/ तम्बाकू उत्पादन करने वाली	6 माह में एक बार

	इकाइयों व अन्य)	
9	कार्यालय उप आबकारी आयुक्त	6 माह में एक बार
10	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी	6 माह में एक बार
11	आबकारी दुकानें (क) जोन के समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्र में स्थित	कुल दुकानों का 20 प्रतिशत वर्ष में
	(ख) जोन के बाकी क्षेत्रों की दुकानें	कुल दुकानों का 10 प्रतिशत वर्ष में
12-	चीनी मिलों में नियुक्त उप आबकारी निरीक्षक का कार्य तथा चीनी मिलें:- (क) मेरठ व गोरखपुर चार्ज की चीनी मिलों के लिए (ख) शेष चार्जों के लिए (ग) पेराई सीजन में	वर्ष में 2 बार वर्ष में 3 बार कम से कम एक बार
13-	अन्य अनुज्ञापन (1) बी0डब्लू0एफ0एल0-2 / 2बी / 2ए (2) एफ0एल0-2 / 2बी / 2 डी (3) एफ0एल0-6, 6ए, 7, 7बी, 7सी (4) एफ0एल0-16 (5) एफ0एल0-17 (6) एफ0एल0-39, 40 व 41	वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में 10 प्रतिशत वर्ष में एक बार

नोट:— उन दुकानों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा, जिनके राजस्व की अदायगी समय में नहीं हो रही है अथवा एम0जी0क्यू0 विलम्ब से उठ रहा है या उनके बारे में शिकायत है।

(2) उप आबकारी आयुक्त

1	दौरे का दिन	150 दिन प्रति वर्ष
2	रात्रि प्रवास	6 रात्रि प्रति माह
3	अपराध निरोधक क्षेत्र (क) प्रभार के सभी जनपद मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र (ख) प्रभार के अन्य सभी जनपद के देहाती क्षेत्र	3 माह में एक बार 4 माह में एक बार
4	आसवनी	3 माह में एक बार
5	बंधित गोदाम (क) वे बंधित गोदाम जो प्रभार के जनपदों के	3 माह में एक बार

	मुख्यालय पर स्थित हैं।	
	(ख) प्रभार के शेष बंधित गोदाम व पेट्रोल डिपो	4 माह में एक बार
6	प्रभार में स्थित बंधित निर्माणशालाएं	6 माह में एक बार
7	अबंधित निर्माण शालाएं	6 माह में एक बार
8	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी (क) उपायुक्त के मुख्यालय जनपद में स्थित	3 माह में एक बार
	(ख) अन्य जनपदों में स्थित	4 माह में एक बार
9	आबकारी दुकानें (क) उपायुक्त प्रभार के समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्र में स्थित	कुल दुकानों का 25 प्रतिशत वर्ष में
	(ख) प्रभार का देहाती क्षेत्र की दुकानें	कुल दुकानों का 10 प्रतिशत वर्ष में
10	चीनी मिलों में नियुक्त उप आबकारी निरीक्षक का कार्य तथा चीनी मिलें:- (क) मेरठ व गोरखपुर चार्ज की चीनी मिलों के लिए (ख) शेष चार्जों के लिए (ग) पेराई सीजन में	वर्ष में तीन बार वर्ष में चार बार कम से कम एक बार
11	शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाईयों कैटिल फीड/तम्बाकू उत्पादक करने वाली इकाईयों व अन्य	चार माह में एक बार
12	अन्य अनुज्ञापन (1) बी0डब्लू0एफ0एल0-2/2बी/2ए (2) एफ0एल0-2/2बी/2 डी (3) एफ0एल0-6, 6ए, 7, 7बी, 7सी (4) एफ0एल0-16 (5) एफ0एल0-17 (6) एफ0एल0-39, 40 व 41	वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में 10 प्रतिशत वर्ष में एक बार

नोट:— उन दुकानों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा, जिनके राजस्व की अदायगी समय में नहीं हो रही है अथवा एम0जी0क्यू0 विलम्ब से उठ रहा है या उनके बारे में शिकायत है।

(3) सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी

1	(क) दौरे का दिन (ख) रात्रि प्रवास	100 दिन प्रतिवर्ष 6 रात्रि प्रति माह
2	अपराध निरोधक क्षेत्र के निरीक्षकों का कार्य—	

	(क) जिनका मुख्यालय जनपद के मुख्यालय पर स्थित है। (ख) जिनका मुख्यालय जनपद के मुख्यालय के बाहर है।	3 माह में एक बार 6 माह में एक बार
3	जिन आसवनियों में विभागी सहायक आबकारी आयुक्त नियुक्त नहीं हैं।	2 माह में एक बार
4	बंधित गोदाम— (क) जनपद के मुख्यालय के गोदाम (ख) जनपद मुख्यालय से बाहर स्थित गोदाम	2 माह में एक बार 3 माह में एक बार
5	निर्माणशालाएं— (क) जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित (ख) जनपद मुख्यालय से बाहर अन्य क्षेत्र में स्थित	3 माह में एक बार 4 माह में एक बार
6	अन्य अनुज्ञापन (1) बी0डब्लू0एफ0एल0-2/2बी/2ए (2) एफ0एल0-2/2बी/2 डी (3) एफ0एल0-6, 6ए, 7, 7बी, 7सी (4) एफ0एल0-16 (5) एफ0एल0-17 (6) एफ0एल0-39, 40 व 41	3 माह में एक बार 3 माह में एक बार 6 माह में एक बार 6 माह में एक बार वर्ष में एक बार 6 माह में एक बार
7	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय	3 माह में एक बार
8	आबकारी दुकानें देशी शराब/विदेशी मदिरा/ताड़ी तथा भांग की दुकानें (क) जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र की दुकानें (ख) जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर स्थित दुकानें जो रू0 50,00,000/- से कम की हों (ग) जनपद मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर स्थित दुकानें जो रू0 50,00,000/- से अधिक हों (घ) उन दुकानों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा, जिनके राजस्व की अदायगी समय में नहीं हो रही है अथवा एम0जी0क्यू0 विलम्ब से उठ रहा है या उनके बारे में शिकायत है, का निरीक्षण (ड.) शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाई	2 माह में एक बार 4 माह में एक बार वर्ष में दो बार कम से कम माह में एक बार वर्ष में चार बार
9	चीनी मिलें तथा उसमें नियुक्त निरीक्षक/उप निरीक्षक आबकारी का कार्य	पेराई सत्र में एक माह में एक बार
10	विविध अनुज्ञापन	वर्ष में एक बार

(4) आबकारी निरीक्षक

1	दौरे का दिन	
	(क) जिनके क्षेत्र में शराब/भाँग के गोदाम नहीं हैं।	वर्ष में 180 दिन
	(ख) जिनके क्षेत्र में शराब/भाँग के गोदाम स्थित हैं।	माह में 10 दिन
2.	रात्रि प्रवास	माह में 5 रात्रि
3.	आबकारी दुकानों का निरीक्षण – (क) आबकारी निरीक्षक के क्षेत्र में स्थित देशी शराब, अंग्रेजी शराब, ताड़ी तथा भाँग की दुकानें 1. प्रधानावास के 8 कि०मी० के अन्तर्गत स्थित 2. प्रधानावास के 8 कि०मी० के बाहर स्थित दुकानें, जो (अ) रु० 50,00,000 से कम की हों। (ब) रु० 50,00,000 से अधिक की हों। (ख) शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाई (ग) संदिग्ध गाँव/मुहल्ले	माह में दो बार माह में एक बार दो माह में एक बार दो माह में एक बार एक माह में एक बार
4.	अन्य अनुज्ञापन (1) बी०डब्लू०एफ०एल०-2/2बी/2ए (2) एफ०एल०-2/2बी/2 डी (3) एफ०एल०-6, 6ए, 7, 7बी, 7सी (4) एफ०एल०-16 (5) एफ०एल०-17 (6) एफ०एल०-39, 40 व 41	माह में एक बार माह में एक बार माह में एक बार माह में एक बार माह में एक बार दो माह में एक बार
5.	अन्य अनुज्ञापन	दो माह में एक बार

नोट:— उन दुकानों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा, जिनके राजस्व की अदायगी समय में नहीं हो रही है अथवा एम०जी०क्यू० विलम्ब से उठ रहा है या उनके बारे में शिकायत है।

(5) सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) दल

	(क) मुख्यालय जनपद में स्थित देशी/विदेशी मदिरा, भाँग एवं अन्य दुकानें	संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई०आई०बी० के निर्देशानुसार
	—	6 माह में एक बार
	(ख) बंधित गोदाम	6 माह में एक बार
	(ग) आसवनी	6 माह में एक बार

<p>(घ) औद्योगिक इकाई (ड.) बंधित निर्माणशालाएं (च) अबंधित निर्माणशालाएं (छ) चीनी मिलें</p> <p>(ज) संदिग्ध ग्राम/मुहल्ले</p>	<p>6 माह में एक बार 6 माह में एक बार वर्ष में 02 बार तथा पेराई सत्र में कम से कम एक बार</p> <p>1.सहायक आबकारी आयुक्त अपने स्तर पर संदिग्ध ग्रामों/मुहल्ला की सूची बनाकर रखेंगे तथा मुख्यालय के ई0आई0बी0 अनुभाग को एक प्रति भेजेंगे। संदिग्ध ग्रामों/मुहल्लों की यह सूची क्षेत्रीय निरीक्षकों के संदिग्ध ग्राम पंजी के सूची के आधार पर तथा स्वतः एकत्रित सूचना के आधार पर होगी। इस सूची को आवश्यकतानुसार समय-समय पर अद्यतन स्थिति के अनुसार परिवर्तित करते रहेंगे।</p> <p>2. संदिग्ध ग्राम पंजी का प्रारूप वही होगा जो अपराध निरोधक क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक द्वारा बनाया जाता है। यह पंजी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्तुत की जायेगी।</p> <p>3. इस पंजी में सम्मिलित संदिग्ध ग्रामों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत ग्रामों/मुहल्लों का तीन माह में तथा न्यूनतम शत-प्रतिशत वर्ष में सहायक आबकारी</p>
---	--

		<p>आयुक्त, प्रवर्तन द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। इस पंजी में प्रविष्टियों यथा अपेक्षित की जायेंगी।</p> <p>4. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन बंधित गोदाम/आसवनी/औद्योगिक इकाई, चीनी मिल, एल0-1, एल0-2 की निरीक्षण टीपें आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0) अनुभाग को प्रेषित करेंगे।</p>
--	--	---